रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072025-264364
CG-DL-E-04072025-264364

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2893] नई दिल्ली, बुधवार , जुलाई 2, 2025/आषाढ़ 11, 1947
No. 2893] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 2025/ASHADHA 11, 1947

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2025

**का.आ. 2960 (अ).—** केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुडुचेरी तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

| क्रम सं. | सदस्य | पदनाम |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | सचिव,<br>(विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण)<br>पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी | अध्यक्ष, पदेन; |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | निदेशक, मत्स्य पालन और मत्स्यपालक कल्याण विभाग, पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी | सदस्य, पदेन; |
| 3. | नगर योजनाकार, नगर और ग्राम योजना विभाग, पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी | सदस्य, पदेन; |
| 4. | डा. पूर्वजा रामचंद्रन<br>कार्यकारी निदेशक,<br>वैज्ञानिक 'जी' और डिवीजन चेयर (भविष्यवादी अनुसंधान)<br>राष्ट्रीय सतत् तटीय प्रबंधन केंद्र,<br>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अन्ना विश्वविद्यालय परिसर , गिण्डी, चेन्नई 600025 | सदस्य, विशेषज्ञ; |
| 5. | डा. तूने उषा<br>वैज्ञानिक 'जी',<br>राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, (एनसीसीआर)<br>पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार<br>एन.आई.ओ.टी परिसर पल्लीकरनई चैन्नई 600100 | सदस्य, विशेषज्ञ; |
| 6. | थिरू अशोक पाण्डा<br>सह संयोजक, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास, पुडुचेरी अध्याय-पुडुचेरी | सदस्य;गैर सरकारी संगठन |
| 7. | निदेशक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी | सदस्य-सचिव पदेन । |

2. प्राधिकरण का मुख्यालय पुडुचेरी में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति, इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ।

4. पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित निबंधनों और शर्तों के अनुसार भत्तों का संदाय किया जाएगा ।

5. हितों के किसी भी टकराव से बचने के लिए सदस्य, किसी ऐसी परियोजना जिसके लिए उन्होने परामर्शी सेवा प्रदान की है, के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण की बैठक से स्वयं को दूर रखेंगे ।

6. प्राधिकरण, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता को संरक्षित करने और सुधारने के लिए तथा तटीय विनियम जोन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-

i. परियोजना प्रस्तावक से अनुमोदन के लिए प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा, यथास्थिति, यदि अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुसार है और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 या अधिसूचना सं. सा.का.नि.

37(अ) तारीख 18 जनवरी, 2019 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचनाएं कहा गया है) के अधीन तैयार किए गए अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुसरण में करेगा और संबद्ध प्राधिकरण को परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर सिफारिश करेगा ;

ii. उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनियम जोन क्षेत्रों में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा ;

iii. भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 4650 (अ) तारीख 30 सितंबर, 2022 में यथाविनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन जारी निदेश ;

iv. उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

v. उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करेगा ;

vi. तटीय विनियम जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में उपांतरणों के लिए संघ राज्यक्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उक्त अधिसूचनाओं के अधीन उस पर सिफारिशें देगा ;

vii. उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच तथा पुनर्विलोकन करना ;

viii. उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में की, स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि, निकाय या संगठन द्वारा उसके समक्ष की गई शिकायत के आधार पर, जांच और पुनर्विलोकन करना ।

7. उक्त अधिसूचना के उपबंधों के क्रियान्वयन की मॉनीटरी और प्रवर्तन के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी होगा ।

8. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्यों, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अनुपालन तथा उल्लंघन की असफलता के मामलों में सिफारिशें और ऐसी असफलता तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाई तथा न्यायालय मामले, जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश भी हैं और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, पुडुचेरी की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना, से संबंधित सूचना डालेगा ।

9. प्राधिकरण, कम से कम छह मास में एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को भेजेगा ।

[फा. सं. जे.17011/13/1999-आईए.III.(भाग)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2025

**S.O. 2960 (E**).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Puducherry Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

| **Sl. No.** | **Members** | **Designation** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 1. | The Secretary<br>(Science, Technology and Environment),<br>Government of Puducherry, Puducherry. | Chairman, *exofficio;* |
| 2. | The Director,<br>Department of Fisheries and Fishermen Welfare, Government of Puducherry, Puducherry. | Member*, exofficio;* |
| 3. | The Chief Town Planner,<br>Town and Country Planning Department,<br>Government of Puducherry, Puducherry | Member*, exofficio;* |
| 4.. | Dr. Purvaja Ramachandran,<br>Acting Director, Scientist-G and Division Chair<br>(Futuristic Research)<br>National Centre for Sustainable Coastal Management, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Anna University Campus, Guindy, Chennai, -600025. | Member, Expert ; |
| 5. | Dr. Tune Usha,<br>Scientist 'G',<br>National Centre for Coastal Research (NCCR), Ministry of Earth Science, Government of India, NIOT Campus, Pallikaranai, Chennai-600100. | Member, Expert ; |
| 6. | Thiru. Ashok Panda,<br>Co-convenor, Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH), Pondicherry Chapter- Puducherry. | Member, Non-Governmental Organisation ; |
| 7. | The Director,<br>Department of Science, Technology and Environment , Government of Puducherry, Puducherry. | Member Secretary, *exofficio.* |

2. The Headquarter of the Authority shall be at Puducherry.
3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.
4. The member, other than Member, ex officio, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government.

5. In order to avoid any conflict of interest, the Members shall recuse themselves from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered consultancy service.
6. The Authority shall take following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the Union territory of Puducherry Administration, namely: —

(i) examine proposals received from the project proponent for approval, in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan prepared under the notification of the Government of India number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 or the notification number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the said notifications), as the case may be, and make recommendation for approval of project proposal to the authority concerned, as specified in the said notifications, within a period of sixty days from the date of receipt of application;

(ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notifications;

(iii) issue directions under section 5 of the said Act as specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 4650(E), dated the 30th September, 2022;

(iv) exercise powers under section 10 of the said Act;

(v) file complaint under section 19 of the said Act;

(vi) examine proposals received from the Union territory for modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and making recommendations to the National Coastal Zone Management Authority under the said notifications.

(vii) inquire and review the cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and

(viii) inquire and review the cases of violation or contravention of the said notification suo-moto or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation before it.

7. The Authority shall be responsible for enforcement and monitoring of the implementation of the provision of the said notification.
8. The Authority shall, for the purposes of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meeting, decision taken in the meeting, recommendation for matters on failure of compliance or contravention of the said notification and action taken on such failure or contravention and court matter including the order of the court, and the approved Coastal Zone Management Plan of the Union territory Administration of Puducherry.
9. The Authority shall furnish report of its activity at least once in six months to the Central Government.

[F.No. J-17011/13/1999-IA.III(Part)]

RAJAT AGARWAL , Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.04 11:34:50 +05'30'